

अन्तिमडिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
बइजलास-श्री सुनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 105/2018
राजस्व वाद सं. 121/2018

नूलाराम पुत्र पदमाराम
शैतानराम पुत्र पदमाराम (फोट)
2/1 चेनाराम पुत्र शैतानाराम
2/2 रतन डुकिया पुत्र शैतानाराम
2/3 बाजूदेवी पत्नि शैतानराम
2/4 सहदेव पुत्र शैतानराम (फोट)
2/4/1. शारदा पत्नि सहदेवराम
2/4/2. पवन पुत्र सहदेवराम
2/4/3. हरेन्द्र पुत्र सहदेवराम
पूसाराम पुत्र भागीरथराम
मोहनराम पुत्र भागीरथराम
जाति- जाट, निवासी- तेजासर, तहसील-जायल (नागौर)

बनाम

दीगण -

घनश्याम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मेहरवास
नानूराम पुत्र मांगीलाल
शैतानराम पुत्र मांगीलाल
ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल
रामचन्द्र पुत्र पुत्र मांगीलाल
भीकाराम पुत्र मांगीलाल
संतोष पुत्री मांगीलाल
साबूडी पुत्री मांगीलाल
किसनी पत्नि मांगीलाल
0. महावीर पुत्र हेमाराम
1. पपूराम पुत्र हेमाराम
2. शारदा पुत्री हेमाराम
3. लीला पुत्री हेमाराम
4. तुलछाराम पुत्र उदाराम
5. रावतराम पुत्र उदाराम
जाति- मेघवाल, निवासी- तेजासर, तहसील- जायल, जिला नागौर।
16. तहसीलदार जायल।

दावा बाबत बंटवाडा खेताय एवं रेकर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



जाति :-

श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण।
श्री इन्द्र सिंह राठोड अधिवक्ता प्रतिवादीगण।
प्रतिवादी संख्या 16 राजपैरोकार उपस्थित

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

- : : डिक्री आदेश : : -

दिनांक- 22/09/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जीयाराम गौदारा
वादीगण मिनजानिब मुददई हाजीर श्री इन्द्र सिंह राठौड वकील प्रतिवादी संख्या 1
तथा प्रतिवादी सं. 16 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म
जाता है कि -

वादी मूलाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी तेजासर के हक बंट कब्जा काश्त में
मौजा गौठ के ख.न. 249 रकबा 17.9518 हैक्टेयर मे से 4.4157 हैक्टेयर बंटवारा
प्रस्ताव मे सलग्न नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

वादी शैतानराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी तेजासर के हक बंट कब्जा काश्त
में मौजा गौठ के ख.न. 249 रकबा 17.9518 हैक्टेयर मे से 1.1055 हैक्टेयर बंटवारा
प्रस्ताव मे सलग्न नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

वादी पूसाराम व मोहनराम जाति जाट निवासी तेजासर के हक बंट कब्जा काश्त में
मौजा गौठ के ख.न. 249 रकबा 17.9518 हैक्टेयर मे से 3.3716 हैक्टेयर बंटवारा
प्रस्ताव मे सलग्न नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी घनश्याम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी मेरवास के हक बंट कब्जा काश्त
में मौजा गौठ के ख.न. 249 रकबा 17.9518 हैक्टेयर मे से 4.4562 हैक्टेयर बंटवारा
प्रस्ताव मे सलग्न नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी तुलछाराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी तेजासर के हक बंट कब्जा
काश्त व खातेदारी मे मौजा गौठ के ख.न. 249 रकबा 17.9518 हैक्टेयर मे से 3.3721
हैक्टेयर बंटवारा प्रस्ताव मे सलग्न नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी ओमप्रकाश, रामचन्द्र, भीकाराम, नानूराम, व शैतानराम पुत्र मांगीलाल जाति
मेघवाल निवासी तेजासर के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी मे मौजा गौठ के ख.न.
249 रकबा 17.9518 हैक्टेयर मे से 0.7818 हैक्टेयर बंटवारा प्रस्ताव मे सलग्न नजरी
नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी रावताराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी तेजासर के हक बंट कब्जा
काश्त व खातेदारी मे मौजा गौठ के ख.न. 249 रकबा 17.9518 हैक्टेयर मे से 0.2556
हैक्टेयर बंटवारा प्रस्ताव मे सलग्न नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

वादी एवं प्रतिवादीगण के अपने हक बंट के आये खेताय मे आने जाने के लिए मौजा
गौठ के ख.न. 249 रकबा 17.9518 मे से रकबा 0.1933 हैक्टेयर भूमि रास्ता हेतु
माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी 8 से 13 द्वारा अपने हक बंट मे भूमि नहीं रखने से प्रकरण हकत्याग द्वारा
भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाकर चालान की प्रति
पेश होने पर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहरीर
जारी की जावे।

तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग

(सुनिहा कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुबलिग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -
 आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बाबत मेरे दस्तखत
 अदालत के आज तारीख 22/03/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुशय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
			मीजान		

टिप्पणी - इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये
 प्रमाणित किया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(मुनिव) कलक्टर
 सहायक (सहायक) जायल
 उपखण्ड अधिकारी
 जायल